

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि०व०/स्था०-10-04/2020-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4 (भू-तल द्वितीय विंग) स्थित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अवसंरचना निर्माण, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 93,12,437/- (रु० तिरानवे लाख बारह हजार चार सौ सैंतीस) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक-5465 (अनु०) दिनांक-30.09.2024 के द्वारा राशि रु० 69,45,000/- मात्र तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-3, पटना के पत्रांक-1934 दिनांक-23.12.2024 एवं पत्रांक-1935 दिनांक-23.12.2024 के द्वारा क्रमशः राशि रु० 10,71,571/- मात्र एवं रु० 12,95,866/- मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 93,12,437/- (रु० तिरानवे लाख बारह हजार चार सौ सैंतीस) मात्र के प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4 स्थित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अवसंरचना निर्माण, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण का कार्य कुल राशि रु० 93,12,437/- (रु० तिरानवे लाख बारह हजार चार सौ सैंतीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2-उक्त स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-3 के तहत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, उप मुख्य शीर्ष-01 कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-053 रख-रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0037 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मुख्यालय का आधुनिकीकरण से संबंधित विषय शीर्ष-2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत इत्यादि विपत्र कोड-03-2059.01.053.0037 के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

3-स्वीकृत राशि का आवंटन सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना संबंधित कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-3, पटना को प्रदान करेंगे।

4-आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-3, पटना होंगे।

5-भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6-स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, 2398, दिनांक-08.04.2008, 3151, दिनांक-31.03.2023, 955/वि० दिनांक-17.11.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7- कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक-5465 (अनु०) दिनांक-30.09.2024, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-3, पटना का पत्रांक-1934 दिनांक-23.12.2024 एवं पत्रांक-1935 दिनांक-23.12.2024 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन (प्रति संलग्न) के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार कार्य समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाएगा।

8-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9-प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अनिल कुमार ठाकुर)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/स्था०-10-04/2020-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त- सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-3, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/स्था०-10-04/2020-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/स्था०-10-04/2020-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विभागीय आईटी मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव।

2